SHEIKH BHIKHARI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, HAZARIBAG, JHARKHAND
(Formerly called as- HAZARIBAGH MEDICAL COLLEGE, HAZARIBAG)
PH. No. 06546-296629 & 06546-299923/ website : www.hazaribagmedicalcollege.org/
E-mail Id : hazaribagmedicalcollege@gmail.com/sheikhbhikharimedicalcollege@gmail.com

सूचना

स्वा० विभागीय के संकल्प सं० 108(21) दिनांक 14/08/2024 के आलोक में विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति सं० 37–DME दिनांक 26/03/2025 एवं विभागीय पत्रांक 156(9) दिनांक 28/03/2025 के अनुसार शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को कॉलेज प्रशासनिक भवन में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में अतिविशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल के गठन किये जाने हेतु Walk-In-Interview का आयोजन किया जाना है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी संकल्प सं० 108(21) दिनांक 14/08/2024 को निरस्त करते हुये संकल्प सं० 58(21) दिनांक 11/04/2025 को जारी किया गया जिसमें अंकित नियम एवं शर्तों के आधार पर हीं भुगतान की प्रक्रिया किया जायेगा।

इच्छुक उमीदवार कॉलेज के Website के Recruitment link में आवेदन प्रपत्र Download कर वांछित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ स्वयं साक्षात्कार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

साक्षात्कार का स्थान – College Council Room, प्रशासनिक भवन, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।
समय – पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

Sd/- 21/04/25
प्राचार्य,
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज,
हजारीबाग।

ज्ञापांक 587 दिनांक 21/04/2025
प्रतिलिपिः सरकार के अपर मुख्य सचिव, स्वा० चि० शिक्षा एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 21/04/25
प्राचार्य,
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज,
हजारीबाग।

SHEIKH BHIKHARI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, HAZARIBAG, JHARKHAND
(Formerly called as- HAZARIBAGH MEDICAL COLLEGE, HAZARIBAG)
PH. No. 06546-296629 & 06546-299923/ website : www.hazaribagmedicalcollege.org/
E-mail Id : hazaribagmedicalcollege@gmail.com/sheikhbhikharimedicalcollege@gmail.com

ज्ञापांक 588 दिनांक 21/04/2025

सूचना

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को कॉलेज प्रशासनिक भवन में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में अतिविशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल के गठन किये जाने हेतु Walk-In-Interview का आयोजन किया जाना है।

जिसकी वर्ष 2025 की माहवार साक्षात्कार कैलेण्डर निम्नंवत् है।

क्र0सं0	माह	दिनांक	दिन
01	अप्रैल	09 / 04 / 2025	द्वितीय बुधवार
		23 / 04 / 2025	चतुर्थ बुधवार
02	मई	14 / 05 / 2025	द्वितीय बुधवार
		28 / 05 / 2025	चतुर्थ बुधवार
03	जून	11 / 06 / 2025	द्वितीय बुधवार
		25 / 06 / 2025	चतुर्थ बुधवार
04	जुलाई	09 / 07 / 2025	द्वितीय बुधवार
		23 / 07 / 2025	चतुर्थ बुधवार
05	अगस्त	13 / 08 / 2025	द्वितीय बुधवार
		27 / 08 / 2025	चतुर्थ बुधवार
06	सितम्बर	10 / 09 / 2025	द्वितीय बुधवार
		24 / 09 / 2025	चतुर्थ बुधवार
07	अक्टूबर	08 / 10 / 2025	द्वितीय बुधवार
		22 / 10 / 2025	चतुर्थ बुधवार
08	नवम्बर	12 / 11 / 2025	द्वितीय बुधवार
		26 / 11 / 2025	चतुर्थ बुधवार
09	दिसम्बर	10 / 12 / 2025	द्वितीय बुधवार
		24 / 12 / 2025	चतुर्थ बुधवार

नोट – यदि साक्षात्कार की तिथि को अवकाश होने पर उसके अगले कार्यदिवस पर साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा।

साक्षात्कार का स्थान – College Council Room, प्रशासनिक भवन, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग।

समय – पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

21/04/25
प्राचार्य,
शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज,
हजारीबाग।
21/4/25

2

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरुप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश विभागीय ज्ञापांक–108(21) दिनांक–14.08.2024 द्वारा निर्गत है। उक्त मार्ग निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा Consultant के रूप में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैनल निमार्ण हेतु Expression of Interest आमंत्रित किए जाते है। यह विज्ञप्ति अति विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल निमार्ण हेतु जारी किया किया जा रहा है। यह प्रकिया किसी निश्चित अवधि तक सीमित न होकर सतत् (Continue) जारी रहेगी, जिससे इच्छुक चिकित्सक किसी भी समय आवेदन कर सकते है।

चयन समिति द्वारा पैनल को आवश्यकतानुसार अनुमोदित किया जायेगा। तदोरांत संबंधित अस्पताल द्वारा इनसे सेवा ली जायेगी।

निम्नांकित अति विशेषज्ञता विभागों हेतु अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें Consultant के रूप में वांछित हैं:–

क्र0सं0	अति विशेषज्ञता विभाग का नाम
01	Cardiology
02	Cardiothoracic and Vascular Surgery (CTVS)
03	Neurology
04	Neurosurgery
05	Medical Oncology
06	Surgical Oncology
07	Urology
08	Nephrology
09	Medical Gastroenterology
10	Surgical Gastroenterology

2. आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा :–

i. अतिविशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में Consultant के लिए– DM/MCH/DNB (Super specialty)

3. पैनल निर्माण एवं चयन प्रक्रिया :–

i. इच्छुक चिकित्सकों का चयन–Walk-In-Interview के माध्यम से किया जाएगा।

ii. योग्य चिकित्सकों की सूची तैयार कर पैनल में शामिल किया जाएगा।

iii. अस्पताल आवश्यकतानुसार उनसे सेवाएँ प्राप्त करेगी।

26/03/25

iv. यह प्रक्रिया निरंतर (Rolling basis) पर जारी रहेगी अर्थात इच्छुक चिकित्सक कभी भी आवेदन कर सकते है और निर्धारित तिथियों पर आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते है।

v. सरकारी नौकरी में कार्यरत चिकित्सक इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे।

5. **सेवा की शर्त एवं Remunerations –**

(क) अतिविशेषज्ञ चिकित्सकों (Superspeciality Consultants) की ली जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय संकल्प–108(21) दिनांक–14.08.2024 के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला संशोधन स्वतः प्रभावी होगा।

(ख) Consultant चिकित्सकों की सेवा का मूल्यांकन उनके Performance के आधार पर समय–समय पर किया जायेगा। Performance असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित चिकित्सकों को पैनल से बाहर करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. Walk-In-Interview का स्थान :– साक्षात्कार की तिथि/समय एवं स्थान की सूचना संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाईट/सूचना पट्ट से प्राप्त की जा सकेगी।

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सस्थान के वेबसाईट के अन्तर्गत Recruitment link पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्ण रूपेण भरकर, सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ वाक–इन–इन्टरव्यू के आयोजन की तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

26/03/2025

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
झारखंड, राँची

2

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के अन्तर्गत सुपरस्पेशियलिटी विभागों में निजी क्षेत्र के अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को Consultant के रुप में सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं

9. आवेदित पद / विभाग का नामः–
10. आवेदक का नामः–
    (क) हिन्दी में:–..
    (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में:–..
11. पिता / पति का नामः–..
12. जन्मतिथिः– (अंक में)..
    (शब्द में)..
13. पत्राचार का पत्ताः–वर्त्तमान पता / मोहल्ला..
    पोस्टः–..........................थानाः–..........................
    जिलाः–..........................राज्यः–..........................पिनकोडः–..........................
    ई–मेलः–..मो0नं0..........................
14. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / वि0 वि0 / संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
01	एम0बी0बी0एस0					
02	एम0डी0 / एम0एस0 / डी0एन0बी0 / डिपलोमा इत्यादि					
03	DM/MCH/DNB (Superspecialty)					

15. आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
16. अनुलग्नकों की सूचीः–
    e) ....
    f) ....
    g) ....
    h) ....

घोषणापत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरणी सत्य है। किसी प्रकार की गलत सूचना एवं अनुमान्य अर्हता / अनुभव नहीं पाये जाने पर आवदेन अस्वीकृत करने या किसी भी निर्णय के लिये चयन समिति सक्षम होगा तथा जो मुझे स्वीकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः–

दिनांकः–

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः–सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरूप करने के लिए *"अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश"* निर्गत करने के संबंध में।

राज्य के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सदर अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। समीक्षा के उपरांत यह पाया गया है कि सरकारी अस्पतालों में IPHS-2022 के अनुसार आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अन्य मानवबल एवं संसाधनों की कमी है। राज्य सरकार द्वारा IPHS-2022 के अनुसार सभी अस्पतालों को सुदृढ़ करने तथा चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। राज्य के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों को भी निर्धारित Package अनुसार चिकित्सोपरांत Claim की राशि प्राप्त होती है। सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरूप करने के लिए *"अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश"* निर्गत किए जाने का मामला विचाराधीन था।

2. उक्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत् सरकारी अस्पतालों द्वारा अधिक–से–अधिक ईलाज करने तथा अगले तीन वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं सदर अस्पताल में कम–से–कम प्रत्येक माह ₹ 50,000/–(पचास हजार) प्रति बेड की औसत दर से Claim की राशि उपार्जित करने निदेश है। अधिक क्लेम की राशि प्राप्त करने से सरकारी अस्पतालों के निजी संसाधनों में वृद्धि होगी और इसका सदुपयोग कर वे IPHS -2022 के अनुसार सभी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सक्षम हो सकेंगे।

58(21)
11.04.2025

₹ 50,000/–(पचास हजार) प्रति बेड प्रति माह Claim राशि उपार्जित करने का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से निम्न प्रकार से प्राप्त की जाएगी :–

वित्तीय वर्ष	उपार्जित राशि
2025–26	25,000
2026–27	35,000
2027–28	50,000

इस प्रकार से तीन वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर प्रति वर्ष 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) रूपए से भी अधिक Claim की राशि प्राप्त होगी, जिसका उपयोग कर सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सदर अस्पताल IPHS–2022 के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निदेश देने में सक्षम हो सकेंगे। कालान्तर में इस राशि का सदुपयोग कर सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल के साथ Compete कर सकेंगे।

इसी प्रकार से सभी अनुमंडल अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मूल्यांकन कर विभाग द्वारा अलग से लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

यह उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित सरकारी अस्पतालों द्वारा ₹ 50,000/–(पचास हजार) प्रति माह प्रति बेड का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के करीब है:–

क्रमांक	सदर अस्पताल का नाम	कुल बेड की संख्या	इस वित्तीय वर्ष में जनवरी तक प्राप्त कुल Claim की राशि	प्रति बेड प्रति माह प्राप्त की गई राशि
1	सदर अस्पताल, राँची	500	26,51,27,867/–	44,188/—
2	सदर अस्पताल, कोडरमा	100	3,39,83,902/–	28,320/

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि संबंधित सिविल सर्जन तथा उनकी टीम तत्परतापूर्वक कार्य करेंगे, तब यह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। राँची सदर अस्पताल में जहाँ लक्ष्य का 90 प्रतिशत प्राप्त हुआ है वहाँ बेहतर स्वास्थ्य

58(21)
11.04.2025

सुविधाएँ भी उपलब्ध हो रही हैं। उनके द्वारा Speciality Services के अतिरिक्त Super Speciality Services भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो उत्साहबर्धक है।

3. विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत उपार्जित राशि का उपयोग करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–87(13) दिनांक–12.03.2019 के द्वारा निदेश निर्गत है जिसके अनुसार उक्त राशि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा रहा है:–

(a) चिकित्सक एवं अन्य सहयोगी कर्मी को प्रोत्साहन राशि	25%
(b) पारिश्रमिक, उपभोग सेवाओं एवं वस्तुओं के क्रय तथा अस्पताल/संस्था के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु	75%

4. राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–108(21) दिनांक–14.08.2024 द्वारा मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि से निजी चिकित्सकों की सेवाएँ Hire basis पर प्राप्त करने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। राज्य सरकार के द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के फलस्वरूप राँची सदर अस्पताल, SNMMCH, धनबाद तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जा रही है और इसके अच्छे परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

5. उक्त नीति को और व्यापक तथा प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश निर्गत किया जा रहा है। इसके तहत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ जिला अस्पताल/अनुमण्डल अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से उपार्जित होने वाली राशि का उपयोग निम्न प्रकार किया जाएगा :–

(क) प्रोत्साहन राशि – 15%

(ख) चिकित्सक/Consultant की प्रोत्साहन राशि, संस्थान के रख–रखाव, संचालन पारिश्रमिक, दवा क्रय इत्यादि – 85%

58(21)
11.04.2025

6. 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकार से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी :–

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सदर अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

संस्थान का नाम	चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 15% अंतर्गत)
		प्रतिशत
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हेतु	प्राचार्य	4
	अधीक्षक	4
	विभागाध्यक्ष	4
	स्टाफ नर्स	30
	नर्सिंग सहायक	20
	प्रयोगशाला तकनीशियन	10
	एक्स–रे/रेडियोलॉजी तकनीकी सहायक	10
	अन्य पारा मेडिकल स्टाफ एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	10
	अन्य सहयोगी कर्मी	8
सदर अस्पताल/ अनुण्डलीय अस्पताल	सिविल सर्जन	5
	उपाधीक्षक	5
	स्टाफ नर्स	30
	नर्सिंग सहायक/ए0एन0एम0	20
	प्रयोगशाला तकनीशियन	10
	एक्स–रे/रेडियोलॉजिकल तकनीशियन	10
	अन्य पारा मेडिकल कर्मी एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	10
	अन्य सहयोगी कर्मी	10
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ रेफरल अस्पताल	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	15
	स्टाफ नर्स	30
	नर्सिंग सहायक/ए0एन0एम0	20
	प्रयोगशाला तकनीशियन	10
	एक्स–रे/रेडियोलॉजिकल तकनीशियन	10
	अन्य पारा मेडिकल कर्मी एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	15
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	25
	स्टाफ नर्स	25
	नर्सिंग सहायक/ए0एन0एम0	20
	प्रयोगशाला तकनीशियन	20
	अन्य पारा मेडिकल कर्मी	10

7. उपार्जित राशि से निम्नांकित प्रकार से चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त की जायेगी :–

(क) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में Consultant के रूप में अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त करना।

(ख) सदर अस्पताल में Consultant के रूप में अति विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त करना।

(ग) अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में Consultant के रूप में विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएँ प्राप्त करना।

(घ) IPHS-2022 के अनुरूप/ NHM Guidlines के अनुसार सभी अस्पतालों में चिकित्सकों की सेवाएँ प्राप्त करना।

58(21)
11.04.2025

8. सरकारी चिकित्सक तथा बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant) की सेवा प्राप्त करने पर उनको (चिकित्सक/Consultant की प्रोत्साहन राशि, संस्थान के रख–रखाव, संचालन पारिश्रमिक, दवा क्रय इत्यादि हेतु निर्धारित 85 प्रतिशत के अन्तर्गत) निम्नरूपेण प्रोत्साहन की राशि दी जायेगी:–

स्वास्थ्य संस्थान	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	सरकारी चिकित्सक	बाह्य श्रोत के विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant)	बाह्य श्रोत के अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant)	निश्चेतक/ अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	रेडियोलॉजिस्ट (प्रति केस दर)
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	रॉंची, धनबाद तथा जमशेदपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल	7.5%	-	30%	-	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु	-	-	Rs. 500 Per Patient	-	-
	हजारीबाग, दुमका तथा पलामू स्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	09%	-	32%	-	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु	-	-	Rs. 600 Per Patient	-	-
सदर अस्पताल	रॉंची, धनबाद तथा जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल	7.5%	24%	30%	09%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु	-	Rs. 300 Per Patient	Rs. 500 Per Patient	-	X-ray- 50/- Ultrasound- 200/- CT/MRI- 1000/-
	देवघर, हजारीबाग, बोकारो, पलामू,गिरिडीह, खूँटी, कोडरमा तथा रामगढ़ स्थित सदर अस्पताल	09%	28%	34%	10%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु	-	Rs. 400 Per Patient	Rs. 600 Per Patient	-	X-ray- 75/- Ultrasound- 250/- CT/MRI- 1200/-
	चतरा, गढ़वा, दुमका, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला–खरसावाँ, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम स्थित सदर अस्पताल	10%	32%	38%	12%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु	-	Rs. 500 Per Patient	Rs. 800 Per Patient	-	X-ray- 100/- Ultrasound- 300/- CT/MRI- 1400/-
अनुमण्डलीय अस्पताल	रॉंची तथा जमशेदपुर स्थित अनुमण्डलीय अस्पताल	08%	26%	-	10%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ०पी०डी० सेवाएँ हेतु		Rs. 400 Per Patient			X-ray- 75/- Ultrasound- 250/-
	देवघर, हजारीबाग तथा बोकारो स्थित अनुमण्डलीय अस्पताल	10%	30%	-	11%	-

	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ0पी0डी0 सेवाएँ हेतु		Rs. 500 Per Patient			X-ray- 75/- Ultrasound- 350/-
	शेष जिला के अनुमण्डलीय अस्पताल	12%	34%	-	12%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ0पी0डी0 सेवाएँ हेतु	-	Rs. 600 Per Patient	-	-	X-ray- 125/- Ultrasound- 350/-
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पताल	राँची, धनबाद तथा जमशेदपुर जिला के अन्तर्गत सभी CHC/रेफरल अस्पताल	09%	28%	-	10%	-
	देवघर, हजारीबाग, दुमका, बोकारो तथा पलामू जिला के अन्तर्गत सभी CHC/रेफरल अस्पताल	11%	32%	-	12%	-
	चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूँटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला– खरसावाँ, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	13%	36%	-	14%	-
	उपर्युक्त स्वास्थ्य संस्थानों में ओ0पी0डी0 सेवाएँ हेतु	-	-	-	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सभी जिलान्तर्गत स्थित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (यदि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सक के रूप में कार्य किया जायेगा तो वे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में प्रोत्साहन नहीं प्राप्त करेंगे)	15%	-	-	-	-

परन्तु पारिश्रमिक की कुल राशि प्रति विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant) प्रतिमाह रू0 4,00,000/–(चार लाख) से अन्यून होगी। उपरोक्त पारिश्रमिक की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।

प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा सिविल सर्जन/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल के द्वारा आवश्यकतानुसार अगर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट/ सुपर स्पेशलिस्ट तथा अन्य चिकित्सा कर्मी को चिकित्सीय कार्य हेतु रखे गये है, तो उन्हें 85 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जायेगी।

9.(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के तहत् 85 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के अन्तर्गत चिकित्सक एवं निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया, के बीच निम्नरूपेण प्रोत्साहन की राशि दी जायेगी:–

संस्थान का नाम	चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 85% अंतर्गत)
		प्रतिशत
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची	विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक	5
	निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	2

9.(ii) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सा कर्मियों का 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकार से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी :–

संस्थान का नाम	चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 15% अंतर्गत)
		प्रतिशत
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची	निदेशक	2
	अधीक्षक/उपाधीक्षक	4
	विभागाध्यक्ष	6
	स्टाफ नर्स	30
	नर्सिंग सहायक	20
	प्रयोगशाला तकनीशियन	10
	एक्स–रे/रेडियोलॉजी तकनीकी सहायक	10
	अन्य पारा मेडिकल स्टाफ एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	10
	अन्य सहयोगी कर्मी	8

9.(iii) किन्तु राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक एवं निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक एवं अन्य कर्मी जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया जाता है उनके संबंध में रिम्स शासी परिषद् की सहमति प्राप्त की जायेगी।

10. IPHS-2022 के अनुसार चिकित्सकों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु NHM के guidelines के अनुसार चिकित्सकों की सेवा प्राप्त किया जा सकता है तथा उनका मानदेय निर्धारित किया जा सकता है।

11. वाह्य स्रोत से चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant) की सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति तथा चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant) का चयन क्षेत्रीय अस्पतालों के मामले में निम्न समिति द्वारा की जायेगी :–

(i) उपायुक्त – अध्यक्ष
(ii) सिविल सर्जन – सदस्य
(iii) उपाधीक्षक – सदस्य सचिव
(iv) उपायुक्त के द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ – सदस्य

12. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के मामले में निम्नलिखित समिति द्वारा स्वीकृति तथा चयन की कार्रवाई की जायेगी:–

(i) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड

58(21)
11.04.2025

(ii) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य
(iii) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक
(iv) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
(v) विभाग के संयुक्त सचिव/उप सचिव

13. ज्ञातव्य है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित सभी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मियों के स्वीकृत पद IPHS-2022 के अनुरूप नहीं है, जिसके फलस्वरूप अस्पतालों में संपूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कठिनाई है। इस कमी को पूरा करने हेतु विभिन्न अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त तथा IPHS-2022 तक आवश्यकता आधारित पदों पर विभिन्न प्रकार के पारामेडिकल / Technician / Nurses एवं अन्य कर्मियों की सेवा प्राप्त करने हेतु विभागीय संकल्प–370A(5) दिनांक–11.05.2022 एवं अन्य विभागीय पत्रों द्वारा समय–समय पर आदेश निर्गत किया गया है।

संकल्प एवं विभागीय निदेशों के द्वारा निदेशित किया गया है कि "IPHS Norms, 2022 के द्वारा कर्मियों की निर्धारित अधिसीमा में से नियमित एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों को घटाकर शेष पदों के विरूद्ध ही आउटसोर्सिंग के तहत सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी।"

निर्धारित अधिसीमा सभी जिलों के लिए (राँची सदर अस्पताल को छोड़कर) IPHS-2022 के अनुसार की गयी है। राँची सदर अस्पताल के लिए अलग पत्रांक–229(5)ब यो० दिनांक–27.03.2023 एवं पत्रांक–150(5)ब यो० दिनांक–10.10.2023 द्वारा संख्या निर्धारित की गयी है, जो IPHS-2022 पर आधारित है। इस प्रकार विभिन्न अस्पतालों के लिए अलग–अलग मापदण्ड बनाए गए हैं, जिसमें एकरूपता लाने की आवश्यकता है।

14. इसी से संबंधित रिम्स के शासी निकाय की बैठक में भी यह चर्चा की गयी तथा यह निर्णय लिया गया कि स्वीकृत पद के अतिरिक्त तथा IPHS के अनुसार पारामेडिकल/तकनीकी/सुरक्षा गार्ड रखा जाय, किन्तु इसका भुगतान आयुष्मान–भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त उपार्जन की राशि से किया जाय। इससे अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा सकेगी तथा राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा।

15. अतः राज्य सरकार पर बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़े सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता लाने तथा IPHS-2022 के तहत् सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या–370(A)(5) दिनांक 11.05.2022 के अनुसार IPHS-2022 के द्वारा कर्मियों की निर्धारित अधिसीमा में से नियमित एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या घटाकर शेष पदों के विरूद्ध वाह्य स्रोत से सेवाएँ प्राप्त की जायेगी, जिसका व्यय वहन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से की जाएगी तथा IPHS-2022 से अधिक किन्तु IPHS-2022 तक मानव बल रखने पर इसका व्यय विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत उपार्जित

58(21)
11.04.2025

राशि से किया जाएगा। यानि कि जो सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या अधिक हो रही है वहाँ पर विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत अधिक राशि उपार्जित की जाए और उक्त राशि को IPHS-2022 द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार वाह्य स्रोत से मानव बल रखा जाय। ऐसे में भविष्य में सभी सरकारी अस्पतालों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और उनको विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत् अधिक-से-अधिक उपार्जित राशि प्राप्त होगी, जिसका उपयोग वे IPHS-2022 के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु कर सकेंगे।

16. IPHS -2022 में जिन पदों का जिक्र नहीं है उन पदों यथा–Hospital Manager, Biomedical Engineer, Procurement Officer, IT Professional, Electrical Technician, A.C. Operator, Security Guard etc. की आवश्यकता की स्थिति में इनकी सेवाएँ भी विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत् उपार्जित राशि से ली जा सकेगी। किन्तु इस पर अस्पताल प्रबंधन समिति/रोगी कल्याण समिति से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

17. राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–47(22) दिनांक–03.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव योजना लागू की गई है। इसी प्रकार से विभागीय संकल्प संख्या–361(9) दिनांक–31.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के प्रतिवर्ष रख–रखाव एवं संचालन हेतु एक निर्धारित राशि दी जाती है।

उक्त योजनाओं के तहत् उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाएगा तथा उन योजनाओं में राशि समाप्त होने पर विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत् उपार्जित राशि से अस्पताल संचालन एवं रख–रखाव का कार्य किया जायेगा।

18. विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत् उपार्जित राशि से रख–रखाव, संचालन, पारिश्रमिक, दवा का क्रय इत्यादि के लिए कर्णांकित 85 प्रतिशत की राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए प्राथमिकता/आवश्यकता के अनुरूप किया जा सकेगा:–

i. चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक (Consultant) की सेवाएँ प्राप्त करना।
(जैसा कि उपर्युक्त कंडिका में उल्लेख किया गया है)।

58(21)
11.04.2025

ii. Outsourcing से IPHS-2022 से अधिक किन्तु IPHS-2022 तक बाह्यश्रोत से रखे गये कर्मियों के मानदेय का भुगतान।
(जैसा कि उपर्युक्त कंडिका में उल्लेख किया गया है)।

iii. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना/ आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित मरीजों की जाँच यदि बाहर से कराया गया हो तथा उससे संबंधित भुगतान।

iv. दवा

v. मशीन एवं उपकरण तथा Consumable का क्रय

vi. उपस्कर

vii. मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था

viii. बेडशीट, लौन्ड्री आदि

ix. आधारभूत संरचना का रख–रखाव, पुनर्निर्माण तथा

x. अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य

दवा क्रय हेतु निर्धारित अन्य मदों में उपबंधित राशि की अनुपलब्धता की स्थिति में इस मद से दवा का क्रय किया जा सकेगा।

19. विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपार्जित राशि का प्रबंधन, पारदर्शिता एवं सही वितरण के लिए एक अलग बैंक खाता का संचालन किया जाएगा। इस हेतु बैंक के चयन एवं पोर्टल (Digital) का निर्माण किया जाएगा। यह पोर्टल निःशुल्क निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगाः–

I. योजना के तहत प्राप्त राशि की ट्रैकिंग
II. लाभार्थियों की सूची का प्रबंधन
III. स्वीकृत धन राशि का वितरण
IV. योजना की प्रगति और लेनदेन की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी।

संबंधित पोर्टल का निर्माण, Maintenance एवं तकनीकी सहयोग की सभी जिम्मेदारी, इस कार्य हेतु, चयनित बैंक द्वारा निःशुल्क वहन की जाएगी।

इस योजना के तहत, सभी बैंकिंग सेवाओं के लिए, चयनित बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित बैंक इस पोर्टल को अपने सर्वर पर होस्ट करेगा। पोर्टल को लाइव करना और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चयनित बैंक का दायित्व होगा। लाभार्थियों की सूची, भुगतान डेटा एवं अन्य वांछित जानकारी चयनित बैंक द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

इस योजना के तहत बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक का चयन विभाग/झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा Expression of Interest के माध्यम से किया जायगा।

58(21)
11.04.2025

20. जिला स्तर पर गठित रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति के द्वारा केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना तथा राज्य कर्मचारी बीमा योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की जायेगी तथा इन योजनाओं से प्राप्त उपार्जित राशि का व्यय नियमानुसार सुनिश्चित करेगी।

21. "अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश" के अनुसार राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा। विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपार्जित राशि से ही उपरोक्त सभी कार्य संपादित किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित "अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश" राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी सदर अस्पताल/सभी अनुमण्डलीय अस्पताल/सभी रेफरल अस्पताल/सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ–साथ राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में लागू होगी।

23. प्रोत्साहन राशि का वितरण गत माह में किये गये कार्य के विरूद्ध चालू माह के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से किया जायेगा।

24. विशेष परिस्थिति में, आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन के उपरांत प्रोत्साहन राशि की संरचना में बदलाव किया जा सकता है।

25. इस संबंध में पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 87(13) दिनांक–12.03.2019 तथा संकल्प संख्या–108(21) दिनांक–14.08.2024 निरसित समझे जाएँगे।

26. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.04.2025 के बैठक में मद संख्या–05 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

27. इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11/4/25

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

58(21)
11.04.2025

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024 58(21) रांची, दिनांकः– 11.04.2025

प्रतिलिपि–विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी विभागीय बेवसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024 58(21) रांची, दिनांकः– 11.04.2025

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024 58(21) रांची, दिनांकः– 11.04.2025

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024 58(21) रांची, दिनांकः– 11.04.2025

प्रतिलिपि–अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/निदेशक, रिनपास/प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर/प्राचार्य/अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/प्राचार्य/अधीक्षक, फुलो–झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना/नोडल पदाधिकारी, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव